

भारत सरकार  
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 4646  
21 अगस्त, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए  
पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 की प्रगति

†4646. श्री बी. के. पार्थसारथी:

श्री बस्तीपति नागराजू:

क्या *आवासन और शहरी कार्य* मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू) और पीएमएवाई-यू 2.0 वर्टिकल के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में स्वीकृत आवासों की वास्तविक प्रगति का शीर्ष-वार, राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पीएमएवाई और पीएमएवाई 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत आवासों के लिए स्वीकृत और जारी की गई निधि का वर्षवार, शीर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) आंध्र प्रदेश में पूर्णतः निर्मित हो चुके आवासों में रहने वाले लोगों की संख्या की शीर्षवार, राज्यवार और जिलावार दर क्या है?

उत्तर  
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री  
(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) दिनांक 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य आंध्र प्रदेश सहित देश भर के पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं वाले सभी मौसमों में रहने योग्य पक्के आवास उपलब्ध करना है। यह योजना चार घटकों अर्थात् लाभार्थी-आधारित निर्माण, साझेदारी में किफायती आवास, स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास और ऋण सम्बद्ध सब्सिडी योजना के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। वित्त पोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति को बदले बिना स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए इस योजना की अवधि 31.12.2025 तक बढ़ा दी गई है।

पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से सीख लेते हुए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और देश भर के शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़

अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों को सहायता देने के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन का शुरू किया है ताकि अगले पांच वर्षों में उनके द्वारा किफायती लागत पर आवास बनाया, खरीदा और किराये पर लिया जा सके। पीएमएवाई-यू 2.0 को चार घटक अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना के बीएलसी, एचपी और एआरएच घटकों को राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के रूप में कार्यान्वित किया जाता है।

ये योजनाएं मांग आधारित हैं और लाभार्थियों द्वारा चयनित विभिन्न घटकों के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन, परियोजनाओं का निरूपण और क्रियान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा किया जाता है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव के आधार पर, मंत्रालय द्वारा पीएमएवाई-यू के तहत अब तक पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत 7.16 लाख आवासों सहित कुल 119.31 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई है। इनमें से 112.98 लाख आवासों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है और दिनांक 04.08.2025 तक देश भर में 93.80 लाख आवास पूरे किए जा चुके हैं/लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत, पूर्ण और कब्जा प्राप्त आवासों का राज्यवार और घटक वार ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है। योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत एवं जारी की गई केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार, वर्ष-वार एवं घटक-वार ब्यौरा अनुलग्नक II (क, ख, ग एवं घ) में दिया गया है। आंध्र प्रदेश राज्य में पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत, पूर्ण और कब्जा प्राप्त आवासों का जिला-वार और घटक वार ब्यौरा अनुलग्नक -III में दिया गया है।

\*\*\*\*\*

दिनांक 21-08- 2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4646 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-1  
पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत, पूर्ण और कब्जा प्राप्त आवासों का राज्य-वार और घटक-वार ब्यौरा

क्र.स.	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी)			साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी) और स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर)			किफायती किराया आवास परिसर (एआरएचसी) और किफायती किराया आवास (एआरएच)			ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) और ब्याज सब्सिडी योजना	
		स्वीकृत	पूर्ण	कब्जा प्राप्त	स्वीकृत	पूर्ण	कब्जा प्राप्त	स्वीकृत	पूर्ण	कब्जा प्राप्त	लाभार्थी परिवार	
1	राज्य	आंध्र प्रदेश	16,12,109	7,74,899	7,74,899	2,69,667	2,43,181	1,53,797	1,388	-	-	65,613
2		बिहार	4,18,411	1,64,104	1,64,104	6,502	5,644	5,593	-	-	-	20,300
3		छत्तीसगढ़	2,23,975	1,88,023	1,88,023	38,397	31,692	17,940	2,222	-	-	37,635
4		गोवा	5	4	4	-	-	-	-	-	-	3,146
5		गुजरात	1,70,510	1,40,519	1,40,519	1,79,580	1,57,247	1,18,412	5,002	2,602	1,904	6,45,044
6		हरियाणा	82,905	23,800	23,800	2,452	1,818	1,802	2,545	-	-	44,983
7		हिमाचल प्रदेश	10,054	8,805	8,805	64	64	46	205	-	-	2,524
8		झारखंड	1,92,574	1,37,477	1,37,477	35,687	7,321	4,869	-	-	-	15,164
9		कर्नाटक	1,80,798	1,42,061	1,42,061	2,96,359	1,45,163	1,04,801	-	-	-	1,06,957
10		केरल	1,27,153	1,00,243	1,00,243	2,153	1,314	1,213	-	-	-	32,658
11		मध्य प्रदेश	7,34,952	6,50,025	6,50,025	57,800	45,770	34,128	268	-	-	1,73,989
12		महाराष्ट्र	2,57,191	1,43,074	1,43,074	3,66,806	2,26,033	1,50,774	-	-	-	6,26,441
13		ओडिशा	1,84,366	1,39,882	1,39,882	18,217	12,269	6,923	-	-	-	12,758
14		पंजाब	82,871	48,762	48,762	1,595	426	124	-	-	-	48,933
15		राजस्थान	1,43,565	62,512	62,512	41,888	25,303	19,976	2,928	480	-	1,49,397
16		तमिलनाडु	4,04,058	3,68,942	3,68,942	1,46,253	1,18,069	74,159	61,411	36,450	-	1,20,175
17		तेलंगाना	1,13,681	-	-	1,59,628	1,35,181	92,309	14,490	-	-	88,486
18		उत्तर प्रदेश	17,48,159	14,91,199	14,91,199	71,420	58,100	24,222	1,112	-	-	1,55,910
19		उत्तराखंड	25,190	15,337	15,337	18,496	7,849	4,243	170	170	170	19,947
20		पश्चिम बंगाल	5,25,499	3,78,951	3,78,951	3,984	1,084	404	-	-	-	85,751

क्र.स.		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी)			साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी) और स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर)			किफायती किराया आवास परिसर (एआरएचसी) और किफायती किराया आवास (एआरएच)			ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) और ब्याज सब्सिडी योजना
			स्वीकृत	पूर्ण	कब्जा प्राप्त	स्वीकृत	पूर्ण	कब्जा प्राप्त	स्वीकृत	पूर्ण	कब्जा प्राप्त	लाभार्थी परिवार
उप- कुल (राज्य) : -			72,38,026	49,78,619	49,78,619	17,16,948	12,23,528	8,15,735	91,741	39,702	2,074	24,55,811
21	उत्तर पूर्वी राज्य	अरुणाचल प्रदेश	11,770	6,459	6,459	1,536	1,536	320	-	-	-	73
22		असम	1,81,128	1,27,975	1,27,975	64	-	-	2,222	-	-	3,800
23		मणिपुर	52,286	18,252	18,252	-	-	-	-	-	-	233
24		मेघालय	4,554	1,820	1,820	-	-	-	-	-	-	204
25		मिजोरम	36,789	24,658	24,658	142	142	142	-	-	-	2,219
26		नागालैंड	29,973	28,347	28,347	1,054	702	670	-	-	-	40
27		सिक्किम	110	30	30	-	-	-	-	-	-	189
28		त्रिपुरा	84,136	73,480	73,480	4,005	1,929	1,929	-	-	-	2,848
उप- कुल (उत्तर पूर्वी राज्य) : -			4,00,746	2,81,021	2,81,021	6,801	4,309	3,061	2,222	-	-	9,606
29	संघ राज्य क्षेत्र	अंडमान और निकोबार द्वीप	23	23	23	329	33	-	-	-	-	24
30		चंडीगढ़	-	-	-	-	-	-	2,195	2,195	2,195	1,265
31		दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव	1,098	601	601	1,531	1,531	1,194	-	-	-	7,331
32		दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,159
33		जम्मू और कश्मीर	39,152	28,967	28,967	1,272	-	-	336	336	336	3,432
34		लद्दाख	860	766	766	369	62	62	-	-	-	54
35		पुदुचेरी	14,290	9,246	9,246	-	-	-	-	-	-	2,157
उप- कुल (यूटी) : -			55,423	39,603	39,603	3,501	1,626	1,256	2,531	2,531	2,531	44,422
कुल योग : -			76,94,195	52,99,243	52,99,243	17,27,250	12,29,463	8,20,052	96,494	42,233	4,605	25,09,839

\* इसके अतिरिक्त, मिशन अवधि के दौरान जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत स्लम निवासियों के लिए 3.42 लाख आवास पूरे किए गए और 4.90 लाख आवासों पर स्लमवासियों द्वारा कब्जा प्राप्त।

दिनांक 21-08- 2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4646 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II क  
पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई 2.0(लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी)) के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, वर्ष-वार और घटक वार  
स्वीकृत और जारी की गई केंद्रीय सहायता

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनुमोदित केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपए में)												जारी केंद्रीय सहायता ( करोड़ रुपए में)*											
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26		
1	आंध्र प्रदेश	458	-	1,117	1,580	6,028	5,709	5,145	2,786	752	476	130	-	181	236	1,429	1,131	1,897	2,211	5,934	5,155	-	242		
2	बिहार	324	515	689	1,200	546	415	85	-	195	1,502	805	7	239	426	435	437	437	-	173	597	361	923		
3	छत्तीसगढ़	-	18	683	664	369	306	578	488	59	-	194	-	3	336	259	611	528	174	463	483	113	35		
4	गोवा	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.36	-	-	-	-	-	-	-		
5	गुजरात	-	34	241	505	460	341	308	174	179	-	316	-	5	86	198	229	387	462	311	368	30	0.01		
6	हरियाणा	-	11	792	208	-	-	4	-	-	229	-	-	5	108	177	61	-	-	-	200	-	50		
7	हिमाचल प्रदेश	8	23	39	-	14	21	30	11	5	-	-	-	11	16	20	21	13	36	10	10	10	3		
8	झारखंड	106	628	452	67	369	131	839	84	-	-	214	50	193	444	360	240	415	189	275	158	1	226		
9	कर्नाटक	-	758	356	670	478	61	106	26	256	-	-	-	-	362	244	222	360	160	395	127	-	103		
10	केरल	-	270	587	340	39	119	292	145	116	-	-	-	52	237	530	114	-	222	133	223	80	122		
11	मध्य प्रदेश	97	1,020	2,674	2,877	1,005	347	2,134	436	143	-	293	-	127	1,697	2,156	423	1,490	1,083	1,853	1,280	270	117		
12	महाराष्ट्र	-	-	138	1,309	559	272	821	74	431	-	254	-	-	3	180	228	806	-	506	1,152	-	0		
13	ओडिशा	-	194	345	694	130	211	731	-	282	80	99	-	110	145	313	272	286	286	261	293	27	102		
14	पंजाब	-	407	-	38	357	-	-	226	-	-	184	-	59	64	33	-	211	17	124	179	123	143		
15	राजस्थान	-	2	25	104	16	9	35	852	565	358	186	-	1	-	-	44	-	210	-	656	224	541		
16	तमिलनाडु	258	1,251	1,103	989	1,024	462	606	211	158	-	-	23	526	947	795	1,321	727	701	-	657	134	55		
17	तेलंगाना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	उत्तर प्रदेश	-	111	3,289	7,513	4,088	2,738	1,543	1,606	2,361	838	2,135	-	17	1,342	3,869	3,308	3,891	3,289	1,696	4,341	1,032	1,180		
19	उत्तराखंड	26	22	70	7	55	20	-	134	44	-	-	-	25	50	9	-	52	-	33	81	25	50		
20	पश्चिम बंगाल	990	785	815	1,693	701	1,228	1,670	-	-	-	-	89	442	719	1,038	581	1,004	-	829	945	506	716		
उप कुल (राज्य)		2,268	6,049	13,416	20,458	16,239	12,388	14,926	7,251	5,546	5,188	4,810	169	1,997	7,216	12,044	9,242	12,504	9,038	12,996	16,906	2,936	4,609		
21	अरुणाचल प्रदेश	-	0.47	52	2	11	-	32	-	-	120	-	-	0.06	21	7	4	8	28	-	15	5	8		
22	असम	-	109	582	34	701	232	487	138	203	-	346	-	14	322	7	483	81	178	387	396	272	124		
23	मणिपुर	-	120	213	196	-	171	84	-	-	-	-	-	23	135	11	65	99	-	98	36	54	25		

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनुमोदित केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपए में)											जारी केंद्रीय सहायता ( करोड़ रुपए में)*										
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
24	मेघालय	-	0.48	11	21	36	-	-	-	-	-	-	-	0.19	4	-	-	0.10	17	4	14	5	15
25	मिजोरम	147	-	265	-	-	139	-	-	-	-	-	8	-	57	28	-	68	-	158	43	65	25
26	नागालैंड	-	143	-	166	91	50	-	-	-	-	-	-	61	1	65	14	106	34	-	69	25	-
27	सिक्किम	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
28	त्रिपुरा	-	514	277	79	-	117	115	63	98	-	-	-	257	159	143	144	193	30	52	93	48	49
<b>उप कुल (उत्तर पूर्वी राज्य)</b>		<b>147</b>	<b>887</b>	<b>1,401</b>	<b>498</b>	<b>839</b>	<b>710</b>	<b>717</b>	<b>201</b>	<b>301</b>	<b>120</b>	<b>346</b>	<b>8</b>	<b>355</b>	<b>700</b>	<b>263</b>	<b>711</b>	<b>555</b>	<b>286</b>	<b>700</b>	<b>666</b>	<b>474</b>	<b>247</b>
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	0.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-
30	चंडीगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	जम्मू और कश्मीर	-	44	60	172	110	-	147	-	55	-	-	-	2	50	29	76	106	35	73	40	40	-
33	लद्दाख	-	3	5	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	4	-	2	1	-
34	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	पुदुचेरी	-	41	43	32	19	22	23	-	27	10	-	-	4	42	9	45	19	12	14	31	9	4
36	दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव	-	10	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5	3	3	-	-	-	-	1	-
<b>उप कुल (संघ राज्य प्रदेशों)</b>		<b>-</b>	<b>98</b>	<b>109</b>	<b>211</b>	<b>133</b>	<b>22</b>	<b>170</b>	<b>-</b>	<b>82</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>101</b>	<b>44</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>52</b>	<b>87</b>	<b>73</b>	<b>52</b>	<b>4</b>
<b>कुल योग</b>		<b>2,415</b>	<b>7,034</b>	<b>14,926</b>	<b>21,167</b>	<b>17,211</b>	<b>13,120</b>	<b>15,812</b>	<b>7,452</b>	<b>5,929</b>	<b>5,318</b>	<b>5,156</b>	<b>177</b>	<b>2,359</b>	<b>8,018</b>	<b>12,350</b>	<b>10,078</b>	<b>13,184</b>	<b>9,376</b>	<b>13,782</b>	<b>17,645</b>	<b>3,462</b>	<b>4,860</b>

\*वर्ष के दौरान जारी केन्द्रीय सहायता में पिछले वर्षों में स्वीकृत आवासों के लिए केंद्रीय सहायता भी शामिल है।

दिनांक 21-08- 2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4646 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II ख पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई 2.0(साझेदारी में किफायती आवास एएचपी और “स्व-स्थाने” स्लम पुनर्विकास के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, वर्ष-वार और घटक-वार स्वीकृत और जारी की गई केंद्रीय सहायता

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनुमोदित केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपए में )											जारी केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपए में)*										
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
1	आंध्र प्रदेश	1,621	-	2,441	-	-	-	-	-	-	-	-	368	50	1,885	1,846	-	-	-	-	-	-	-
2	बिहार	179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	छत्तीसगढ़	49	193	197	110	-	-	28	-	-	-	-	34	53	142	95	-	-	-	76	-	65	15
4	गोवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	गुजरात	988	272	445	343	322	92	125	-	-	-	-	272	262	170	252	34	124	118	190	287	82	100
6	हरियाणा	150	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	109	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
7	हिमाचल प्रदेश	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	झारखंड	74	-	375	100	55	-	-	-	-	-	-	56	-	225	4	14	8	22	11	-	-	-
9	कर्नाटक	838	228	1,884	1,187	9	71	506	-	-	-	-	316	264	1,244	58	0	-	91	464	491	6	102
10	केरल	36	-	-	7	-	4	3	-	-	-	-	26	-	-	-	12	-	-	-	2	3	-
11	मध्य प्रदेश	517	414	22	-	56	-	-	-	-	-	-	244	281	535	86	14	8	23	11	-	-	-
12	महाराष्ट्र	-	812	263	2,213	283	498	399	-	-	-	315	-	160	70	124	39	9	71	411	391	314	-
13	ओडिशा	167	-	101	-	8	-	48	-	-	-	-	149	21	5	68	-	-	-	3	-	-	3
14	पंजाब	-	10	3	6	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-
15	राजस्थान	387	33	210	14	-	7	-	-	-	-	-	237	92	106	15	-	-	62	(53)	28	-	37
16	तमिलनाडु	285	148	524	685	249	271	138	-	-	-	-	102	92	157	214	151	116	385	308	221	88	90
17	तेलंगाना	562	-	1,518	-	-	230	85	-	-	-	-	324	137	722	-	-	-	-	-	485	19	170
18	उत्तर प्रदेश	191	-	345	555	120	-	10	-	-	-	-	109	26	155	90	67	63	72	128	110	98	-
19	उत्तराखंड	111	-	36	56	-	-	141	-	-	-	-	61	7	57	-	-	-	-	72	50	37	5
20	पश्चिम बंगाल	14	-	-	16	3	31	3	-	-	-	-	12	-	-	-	2	-	-	-	-	10	-
उप कुल (राज्य)		6,174	2,109	8,365	5,295	1,106	1,204	1,487	-	-	-	315	2,548	1,495	5,484	2,992	332	328	843	1,622	2,065	721	407

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनुमोदित केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपए में )											जारी केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपए में)*										
		2015- 16	2016- 17	2017- 18	2018- 19	2019- 20	2020- 21	2021- 22	2022- 23	2023- 24	2024- 25	2025- 26	2015- 16	2016- 17	2017- 18	2018- 19	2019- 20	2020- 21	2021- 22	2022- 23	2023- 24	2024- 25	2025- 26
21	अरुणाचल प्रदेश	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	29	-	4	17	-	-	-	-	-	-
22	असम	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	मणिपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	मेघालय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	मिजोरम	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
26	नागालैंड	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	9	-	-	-	-	-	17	-	-
27	सिक्किम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	त्रिपुरा	78	-	-	-	65	-	-	-	-	-	-	30	30	-	-	14	12	26	-	-	-	-
उप कुल (उत्तर पूर्व राज्य)		206	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-	81	59	9	4	31	14	26	-	17	-	-
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
30	चंडीगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	जम्मू और कश्मीर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	लद्दाख	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
34	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	3	-
उप कुल (संघ राज्य क्षेत्र)		16	-	23	-	-	5	-	-	-	29	-	8	-	17	-	-	-	1	1	-	3	-
कुल योग		6,397	2,109	8,388	5,295	1,172	1,209	1,487	-	-	29	315	2,637	1,554	5,509	2,996	363	342	870	1,623	2,082	724	407

\*वर्ष के दौरान जारी केन्द्रीय सहायता में पिछले वर्षों में स्वीकृत आवासों के लिए केंद्रीय सहायता भी शामिल है।



दिनांक 21-08- 2025 के लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 4646 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II ग पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई 2.0 के अंतर्गत ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना(सीएलएसएस) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, वर्ष-वार और घटक-वार स्वीकृत और जारी की गई केंद्रीय सहायता

क्र.स	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ब्याज सब्सिडी के रूप में स्वीकृत और जारी की गई केंद्रीय सहायता ( करोड़ रुपए में)										
		2015- 16	2016- 17	2017- 18	2018- 19	2019- 20	2020- 21	2021- 22	2022- 23	2023- 24	2024- 25	2025- 26
1	आंध्र प्रदेश	1.48	4.61	39.43	190.09	303.43	520.10	254.36	165.14	-	-	0.27
2	बिहार	0.54	1.63	10.63	69.63	91.40	134.86	92.30	54.89	-	-	0.00
3	छत्तीसगढ़	1.83	7.28	26.37	101.22	113.76	207.52	215.37	159.34	-	-	0.26
4	गोवा	0.13	0.20	2.06	8.99	9.82	36.95	7.98	8.56	-	-	0.02
5	गुजरात	129.93	143.42	818.37	3,366.46	1,716.10	2,597.94	3,538.89	3,487.32	-	-	4.35
6	हरियाणा	1.54	4.42	31.84	191.40	187.04	287.71	173.90	125.79	-	-	0.16
7	हिमाचल प्रदेश	0.12	0.21	1.14	5.37	9.12	20.14	11.46	9.91	-	-	0.01
8	झारखंड	0.14	0.70	5.53	55.90	77.15	112.26	46.92	25.45	-	-	0.01
9	कर्नाटक	5.99	9.23	82.25	446.10	530.80	729.66	282.23	282.30	-	-	0.08
10	केरल	7.44	3.05	21.87	130.57	140.86	173.58	156.75	108.89	-	-	0.03
11	मध्य प्रदेश	5.04	31.60	129.10	511.96	607.89	912.37	898.29	875.63	-	-	1.94
12	महाराष्ट्र	12.50	204.02	721.00	2,987.38	2,130.59	2,874.74	3,309.34	2,934.65	-	-	4.78
13	ओडिशा	0.09	0.78	8.32	30.89	48.54	99.99	47.60	30.98	-	-	0.01
14	पंजाब	0.84	2.86	29.85	148.04	188.08	295.20	239.15	226.15	-	-	0.42
15	राजस्थान	6.92	11.65	74.11	383.47	556.73	788.65	742.42	733.65	-	-	3.43
16	तमिलनाडु	4.34	19.82	89.53	399.74	520.85	732.83	493.35	414.57	-	-	0.19
17	तेलंगाना	4.38	4.79	50.02	341.98	384.76	775.36	294.95	193.94	-	-	0.14
18	उत्तर प्रदेश	8.13	13.54	129.46	679.12	735.64	906.19	553.95	466.22	-	-	1.43
19	उत्तराखंड	1.05	1.45	24.30	71.09	79.95	108.37	90.27	66.98	-	-	0.08
20	पश्चिम बंगाल	2.12	4.81	61.13	256.61	348.94	602.09	431.24	309.14	-	-	0.45
<b>उप कुल (राज्य)</b>		<b>194.55</b>	<b>470.07</b>	<b>2,356.31</b>	<b>10,376.01</b>	<b>8,781.45</b>	<b>12,916.51</b>	<b>11,880.72</b>	<b>10,679.50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18.06</b>
21	अरुणाचल प्रदेश	-	-	0.02	0.06	0.65	0.62	0.08	0.19	-	-	-
22	असम	0.25	0.19	4.67	8.42	11.16	44.49	4.78	8.17	-	-	0.00
23	मणिपुर	0.01	0.37	1.31	1.22	0.10	0.68	0.14	0.51	-	-	-

क्र.स	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ब्याज सब्सिडी के रूप में स्वीकृत और जारी की गई केंद्रीय सहायता ( करोड़ रुपए में)										
		2015- 16	2016- 17	2017- 18	2018- 19	2019- 20	2020- 21	2021- 22	2022- 23	2023- 24	2024- 25	2025- 26
24	मेघालय	0.58	-	0.27	0.99	0.64	1.20	0.25	0.11	-	-	-
25	मिजोरम	0.20	0.11	2.87	5.74	7.89	2.29	15.51	5.03	-	-	-
26	नागालैंड	0.05	-	0.07	0.27	0.07	0.19	0.07	0.02	-	-	-
27	सिक्किम	0.02	-	0.05	0.18	0.38	1.57	1.41	0.62	-	-	-
28	त्रिपुरा	0.45	0.06	1.44	7.82	8.22	28.95	7.27	7.21	-	-	-
<b>उप कुल (उत्तर पूर्व राज्य)</b>		<b>1.56</b>	<b>0.73</b>	<b>10.70</b>	<b>24.70</b>	<b>29.11</b>	<b>79.99</b>	<b>29.51</b>	<b>21.86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	-	0.05	-	0.46	0.03	0.03	-	-	-
30	चंडीगढ़	0.02	0.09	1.17	3.42	8.24	9.18	3.49	3.18	-	-	0.03
31	दिल्ली	2.03	2.63	55.92	230.17	144.27	144.15	46.85	66.52	-	-	0.64
32	जम्मू और कश्मीर	1.16	0.19	0.51	4.76	23.38	25.30	9.12	6.40	-	-	-
33	लद्दाख	-	-	-	0.49	-	0.43	-	0.07	-	-	-
34	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	पुदुचेरी	0.08	0.25	0.98	5.97	6.00	18.04	5.42	9.74	-	-	0.01
36	दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.62	1.05	9.38	24.44	32.53	45.55	27.91	33.49	-	-	0.04
<b>उप कुल (संघ राज्य क्षेत्र)</b>		<b>3.91</b>	<b>4.21</b>	<b>67.96</b>	<b>269.30</b>	<b>214.42</b>	<b>243.11</b>	<b>92.82</b>	<b>119.43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.73</b>
<b>कुल योग</b>		<b>200.02</b>	<b>475.01</b>	<b>2,434.97</b>	<b>10,670.01</b>	<b>9,024.98</b>	<b>13,239.61</b>	<b>12,003.05</b>	<b>10,820.79</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18.80</b>

दिनांक 21-08- 2025 के लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 4646 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II घ पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई 2.0 (किफायती किराया आवास परिसर-एआरएचसी और किफायती किराया आवास-एआरएच) के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, वर्ष-वार और घटक -वार स्वीकृत और जारी की गई केंद्रीय सहायता

क्र.स	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्वीकृत केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपए में)			जारी केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपए में)*			
		2020- 21	2021- 22	2022- 23	2022- 23	2023- 24	2024- 25	2025- 26
1	आंध्र प्रदेश	-	1.62	-	-	-	-	-
2	असम	3.31	-	-	-	-	-	-
3	छत्तीसगढ़	3.31	-	-	-	-	-	-
4	गुजरात	0.95	-	-	-	-	-	-
5	तमिलनाडु	48.34	-	14.31	18.72	2.67	23.76	23.36
6	तेलंगाना	14.49	-	-	-	-	-	-
7	उत्तर प्रदेश	1.66	-	-	-	-	-	-
कुल		72.05	1.62	14.31	18.72	2.67	23.76	23.36

\*वर्ष के दौरान जारी केन्द्रीय सहायता में पिछले वर्षों में स्वीकृत आवासों के लिए केंद्रीय सहायता भी शामिल है।

अनुलग्नक-III

आंध्र प्रदेश राज्य में पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत, पूर्ण और कब्जा प्राप्त आवासों का जिला-वार और घटक-वार ब्यौरा

क्र.स.	घटक-वार जिला	आवासो का ब्यौरा (संख्या)		
		स्वीकृत	पूर्ण	कब्जा प्राप्त
1	अनकापल्ली			
	बीएलसी	47,126	23,162	23,162
	एएचपी	2,256	2,256	2,256
	सीएलएसएस	500	500	500
	अनकापल्ली कुल	49,882	25,918	25,918
2	अनंतपुरमु			
	बीएलसी	74,759	37,890	37,890
	एएचपी	12,096	4,894	1,024
	सीएलएसएस	1,486	1,486	1,486
	अनंतपुरमु कुल	88,341	44,270	40,400
3	अन्नमय्या			
	बीएलसी	72,741	41,196	41,196
	एएचपी	2,112	2,112	1,872
	सीएलएसएस	337	337	337
	अन्नमय्या कुल	75,190	43,645	43,405
4	बापतला			
	बीएलसी	26,645	13,885	13,885
	एएचपी	2,304	1,604	-
	सीएलएसएस	615	615	615
	बापतला कुल	29,564	16,104	14,500
5	चित्तूर			
	बीएलसी	76,395	54,154	54,154
	एएचपी	4,368	4,368	4,368
	सीएलएसएस	646	646	646
	चित्तूर कुल	81,409	59,168	59,168

क्र.स.	घटक-वार जिला	आवासो का ब्यौरा (संख्या)		
		स्वीकृत	पूर्ण	कब्जा प्राप्त
6	डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोनासीमा			
	बीएलसी	26,223	12,434	12,434
	एएचपी	9,808	9,808	9,808
	सीएलएसएस	484	484	484
	डॉ. बीआर अम्बेडकर कोनासीमा कुल	36,515	22,726	22,726
7	पूर्व गोदावरी			
	बीएलसी	59,627	30,750	30,750
	एएचपी	7,936	7,360	6,208
	सीएलएसएस	2,316	2,316	2,316
	पूर्व गोदावरी कुल	69,879	40,426	39,274
8	एलुरु			
	बीएलसी	69,681	36,984	36,984
	एएचपी	5,712	3,768	-
	सीएलएसएस	1,218	1,218	1,218
	एलुरु कुल	76,611	41,970	38,202
9	गुंटूर			
	बीएलसी	63,879	27,150	27,150
	एएचपी	18,448	18,016	16,048
	सीएलएसएस	7,317	7,317	7,317
	गुंटूर कुल	89,644	52,483	50,515
10	काकीनाडा			
	बीएलसी	66,822	28,496	28,496
	एएचपी	7,288	7,288	6,384
	एआरएचसी*	736	-	-
	सीएलएसएस	3,354	3,354	3,354
	काकीनाडा कुल	77,464	39,138	38,234

क्र.स.	घटक-वार जिला	आवासो का ब्यौरा (संख्या)		
		स्वीकृत	पूर्ण	कब्जा प्राप्त
11	कृष्णा			
	बीएलसी	84,740	30,474	30,474
	एएचपी	13,712	13,712	10,208
	सीएलएसएस	1,087	1,087	1,087
	कृष्ण कुल	99,539	45,273	41,769
12	कुरनूल			
	बीएलसी	51,282	23,255	23,255
	एएचपी	18,992	18,992	12,020
	सीएलएसएस	3,366	3,366	3,366
	कुरनूल कुल	73,640	45,613	38,641
13	नांदयाल			
	बीएलसी	48,957	29,698	29,698
	एएचपी	11,680	11,680	3,488
	सीएलएसएस	898	898	898
	नांदयाल कुल	61,535	42,276	34,084
14	एनटी रामा राव (एनटीआर)			
	बीएलसी	72,430	22,766	22,766
	एएचपी	11,520	10,140	-
	सीएलएसएस	7,004	7,004	7,004
	आईएसएसआर	1,413	43	43
	एनटी रामा राव (एनटीआर) कुल	92,367	39,953	29,813
15	पलान्दु			
	बीएलसी	43,589	17,915	17,915
	एएचपी	12,512	10,038	6,016
	सीएलएसएस	1,231	1,231	1,231
	पलान्दु कुल	57,332	29,184	25,162

क्र.स.	घटक-वार जिला	आवासो का ब्यौरा (संख्या)		
		स्वीकृत	पूर्ण	कब्जा प्राप्त
16	पार्वतीपुरम मान्यम			
	बीएलसी	27,597	16,614	16,614
	एएचपी	2,016	1,824	1,056
	सीएलएसएस	199	199	199
	पार्वतीपुरम मन्याम कुल	29,812	18,637	17,869
17	प्रकाशम			
	बीएलसी	59,715	24,645	24,645
	एएचपी	7,200	5,760	-
	सीएलएसएस	1,600	1,600	1,600
	प्रकाशम कुल	68,515	32,005	26,245
18	श्री पोर्टी श्रीरामुलु नेल्लोर			
	बीएलसी	84,108	32,936	32,936
	एएचपी	32,512	31,936	26,295
	सीएलएसएस	3,796	3,796	3,796
	श्री पोर्टी श्रीरामुलु नेल्लोर कुल	1,20,416	68,668	63,027
19	श्री सत्य साई			
	बीएलसी	56,273	23,503	23,503
	एएचपी	4,176	1,392	-
	सीएलएसएस	387	387	387
	श्री सत्य साई टोटल	60,836	25,282	23,890
20	श्रीकाकुलम			
	बीएलसी	69,690	42,095	42,095
	एएचपी	4,432	4,032	3,616
	सीएलएसएस	3,636	3,636	3,636
	श्रीकाकुलम कुल	77,758	49,763	49,347

क्र.स.	घटक-वार जिला	आवासो का ब्यौरा (संख्या)		
		स्वीकृत	पूर्ण	कब्जा प्राप्त
21	तिरुपति			
	बीएलसी	70,617	30,388	30,388
	एएचपी	15,136	13,136	6,224
	सीएलएसएस	1,826	1,826	1,826
	तिरुपति कुल	87,579	45,350	38,438
22	विशाखापत्तनम			
	बीएलसी	1,43,343	53,705	53,705
	एएचपी	28,530	27,330	22,176
	एआरएचसी*	652	-	-
	सीएलएसएस	14,787	14,787	14,787
	आईएसएसआर	204	192	39
	विशाखापत्तनम कुल	1,86,864	96,014	90,707
23	विजयनगरम			
	बीएलसी	68,680	46,004	46,004
	एएचपी	6,920	6,028	4,328
	सीएलएसएस	4,200	4,200	4,200
	विजयनगरम कुल	79,800	56,232	54,532
24	पश्चिम गोदावरी			
	बीएलसी	51,167	31,220	31,220
	एएचपी	20,784	20,784	8,736
	सीएलएसएस	932	932	932
	पश्चिम गोदावरी कुल	72,883	52,936	40,888
25	वाईएसआर (कडप्पा)			
	बीएलसी	96,023	43,580	43,580
	एएचपी	5,600	4,688	1,584
	सीएलएसएस	2,299	2,299	2,299
	वाईएसआर (कडप्पा) कुल	1,03,922	50,567	47,463

\* आवासों के उप-योग लाभार्थियों के स्वामित्व हेतु स्वीकृत आवासों को दर्शाते हैं, एआरसीएच के अंतर्गत किराये के आवासों को इसमें शामिल नहीं किया गया है